

10. परीक्षा में प्रवेश

- 10.1 वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि और समय तक स्वयं का पंजीकरण करते हैं और जिनके आवेदन पत्र अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं और वे इस अधिसूचना के नियमों और शर्तों के अनुसार सही पाए जाते हैं, उन्हें अनुकर्मांक प्रदान किए जाएंगे और उन्हें पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण/ट्रेड परीक्षा में बुलाने के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। तदनुसार, अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरणों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।
- 10.2 विभाग पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण/ट्रेड परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच करेगा। इसलिए, अभ्यर्थिता को केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हताओं, आयु, शारीरिक और चिकित्सीय मानकों आदि की अपेक्षाओं के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें यह स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए पात्र हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में किए गए किसी दावे की पुष्टि भर्ती की समग्र प्रक्रिया के दौरान नहीं होती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- 10.3 अभ्यर्थियों को कोई भी पत्र भेजते समय अपना नाम, जन्म तिथि और परीक्षा के नाम के साथ अपनी पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के बिना अभ्यर्थियों के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 10.4 पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण/ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा, और चिकित्सा परीक्षण के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा को केंद्रसुधर की वेबसाईट <https://cifrectt.cisf.gov.in> पर परीक्षा से पहले उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल/केंद्र पर प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेकर आना होगा।
- 10.5 वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड न हो पाने के मामले में, अभ्यर्थियों को पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण/ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा, अथवा डीएमई/आरएमई से कम से कम एक सप्ताह पहले केंद्रसुधर से संपर्क करना चाहिए।
- 10.6 प्रवेश पत्र के अलावा, चार नवीनतम पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से उल्लिखित (अर्थात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं) हो और एक मूल वैध फोटो आईडी प्रमाण जिस पर जन्म तिथि भली-भांति प्रिन्ट की हुई हो जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता आईडी कार्ड, (सरकारी/पीएसयू) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) डिस्चार्ज बुक या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो वाला अन्य पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।
- 10.7 यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि लिखी हुई नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म तिथि के प्रमाण में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र (उदाहरणतया मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, केवल सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी अंक तालिकाएं, जन्म प्रमाण पत्र) लाना होगा। प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो आईडी/प्रमाण पत्र में मेल नहीं होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 10.8 प्रवेश पत्र में उल्लिखित अन्य कोई दस्तावेज भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठते समय लाना होगा।
- 10.9 धुंधले फोटोग्राफ और/अथवा धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन प्रपत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

11. भर्ती प्रक्रिया :

11.1 हाईट बार टेस्ट (एचबीटी)/पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा :

11.1.1 हाईट बार टेस्ट (एचबीटी) : जिन अभ्यर्थियों के आवेदन अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं और कम में पाए जाते हैं उन्हें रॉल नम्बर दिया जाएगा और उन्हें विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित भर्ती के प्रथम चरण अर्थात् पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण/ट्रेड परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, भर्ती केन्द्र पर अभ्यर्थी को हाईट-बार टेस्ट (एचबीटी) से गुजरना होगा।

11.1.2 जो अभ्यर्थी हाईट-बार टेस्ट में योग्य पाए जाते हैं उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से गुजरना होगा।

11.1.3 शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)

11.1.4 जो अभ्यर्थी हाईट-बार टेस्ट में योग्य पाए जाते हैं उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से गुजरना होगा।

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए	महिला अभ्यर्थियों के लिए
1.6 किलोमीटर दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में	800 मीटर दौड़ 4 मिनट में

11.1.5 भूतपूर्व सैनिकों को केवल कद, सीना और बजन की माप दर्ज कराने के लिए पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण/ट्रेड परीक्षा में उपस्थित होना होगा। इन भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए पीईटी आयोजित नहीं की जाएगी। तथापि, उन्हें ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा पास करनी होगी।

11.1.6 यह परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी। जो अभ्यर्थी दौड़ में उत्तीर्ण नहीं होते हैं उन्हें पीईटी/पीएसटी बोर्ड द्वारा कारण बताते हुए रिजेक्सन पर्ची देकर भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा और भर्ती की आगे की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पीईटी (रेस/दौड़) में कोई अपील मान्य नहीं है।

11.1.7 शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) – वे अभ्यर्थी जो हाईट-बार टेस्ट और शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनकी अधिकारियों के बोर्ड द्वारा कद, सीना और बजन के लिए स्कीनिंग की जाएगी। आरक्षक (ट्रेडमैन) के पद के लिए शारीरिक मानक उपर पेरा 6.3 में विस्तारित किया गया है और छूट भी समय-समय पर भारत सरकार के आदेशों के अनुसार लागू होगी।

- 11.1.8 उपर उल्लिखितानुसार कद और सीना (जैसा भी मामला हो) में छूट जहां वह आमतौर पर रहते हैं, केवल उन सक्षम प्राधिकारियों से अनुलग्नक-VI में निर्धारित प्रोफार्म में पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा के समय अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकार्य होगी। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी वैध मूल अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर छूट का लाभ उठा सकते हैं।
- 11.1.9 जिन अभ्यार्थियों को शारीरिक मानक अर्थात् कद और सीने में अयोग्य घोषित किया जाता है, वे उसी दिन, यदि वे चाहें तो, पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र के लिए नामित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में किसी भी अपील या अप्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 11.1.10 निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा नहीं करने वाले अभ्यार्थियों को उनकी रिजेक्सन पर्ची देकर भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा। हालांकि, वजन के आधार पर हटाने की प्रक्रिया चिकित्सा परीक्षण के समय की जाएगी। शारीरिक मानक की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अभ्यार्थियों को ही दस्तावेजीकरण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
- 11.1.11 दस्तावेजीकरण :**
- (i) शैक्षिक प्रमाण पत्र
- (ii) जन्म तिथि प्रमाण पत्र (मैट्रिक अथवा दस्तावेजी पास होने का प्रमाण पत्र)
- (iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र जो उनकी अधिवास संबंधी स्थिति सिद्ध कर सके।
- (iv) अजा/अजजा और अपिव और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यदि लागू हो। यह कमशः अनुलग्नक III, IV और V में यथानिर्धारित प्रपत्र में होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो विज्ञापन सूचना में दर्शाए गए अनुसार नहीं हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (v) अभ्यर्थी के अधिवास निवास राज्य से भिन्न राज्य से जारी जाति प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा अर्थात् दोनों प्रमाण पत्र (जाति और निवास) उसी राज्य के द्वारा जारी किए हुए होने चाहिए।
- (vi) गढ़वाली, कुमाऊँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और जम्मू एवं कश्मीर के लेह और लद्दाख क्षेत्र गोरखा क्षेत्रीय प्रबंधन (जीटीए) राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी जिन्होंने कद और छाती में छूट देने के लिए अनुरोध किया है उन्हें अनुलग्नक-VI में दिए गए परिपत्र/प्रारूप में प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
- (vii) सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र अनुलग्नक-VII & VIII के रूप में तथा भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अनुलग्नक IX में निर्धारित प्रपत्र में वर्चनबद्धता।
- (viii) अनुलग्नक XI & XII में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों में काम करने वाले व्यक्तियों के मामले में उनके कार्यालय प्रमुख से अनापाति प्रमाण पत्र/वर्चनबद्धता।
- (ix) केंद्रीय सेवारत कार्मिकों के बच्चों के मामले में जो अपने गृह राज्य के अलावा दूसरे राज्य में आवेदन कर रहे हैं, उन्हें अनुलग्नक-X में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (x) डब्ल्यूपीआर (पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी) जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में रह रहे हैं, के लिए पहचान पत्र अनुलग्नक XIII के अनुसार।
- (xi) अभ्यर्थी की हाल की चार नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो जिस पर फोटो खीचने की तिथि छपी हो (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना नहीं हो)।
- (xii) अभ्यर्थियों को एक फोटोयुक्त पहचान पत्र मूल रूप में जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से जारी पहचान पत्र, आयकर पैनकार्ड अपने पास रखने चाहिए जिसके बारे में उन्होंने अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है/भरा है।
- (xiii) अभ्यर्थी की पहचान की जांच अधिकारियों के बोर्ड द्वारा पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड टेस्ट, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के समय उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए पहचान पत्रों से की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक क्रेंडेशियल (एलटीआर/आरटीआई/फिंगर्स इंप्रेशन) को पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड टेस्ट आयोजित करने से पहले पंजीकृत किया जाएगा जिसका उपयोग भर्ती के सभी आगामी चरणों में किया जाएगा।
- 11.1.12 ट्रेड परीक्षा:**
- क) एचबीटी, पीईटी, पीएसटी और दस्तावेजीकरण में उत्तीर्ण घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा देनी होगी। ट्रेड परीक्षा अर्हक प्रकार की होगी।
- ख.) ट्रेड टेस्ट/प्रैक्टिकल आकलन किया जाएगा जिसका स्वरूप अर्हक प्रकार का होगा।

1. रसोईया (कक्ष)

- क) रोटी और चावल बनाना
- ख) सब्जी/दाल/सांबर/इडली आदि बनाना
- ग) मांस/मछली/अंडा/खीर बनाना

2. मोची

- क) जूते पॉलिश करना
- ख) औजारों का संचालन
- ग) चमड़ा काटना, जूतों की मरम्मत व सिलाई करना

3. दर्जी

- क) कार्मिकों का माप लेना
- ख) कपड़ों की कटाई
- ग) वर्दी सिलना

4. नाई

- क) औजारों का संचालन
- ख) बाल काटना
- ग) दाढ़ी बनाना

4. धोबी

- क) कपड़ों की धुलाई
- ख) सूती खाकी वर्दी पर प्रेस
- ग) ऊनी, टेरीकॉट वर्दी पर प्रेस

6. सफाईवाला

- क) झाड़ू लगाना
- ख) शौचालय की सफाई
- ग) स्नानागार इत्यादि की सफाई

7. पेंटर

- क) रंग, पेंट और शेड्स का ज्ञान
- ख) साईन बोर्ड की पेंटिंग
- ग) रंगाई/चित्रांकन

8. बढ़ई

- क) औजारों का संचालन
- ख) लकड़ी काटना
- ग) फिटिंग, पौलिस और सामग्री की फिनिशिंग

9. इलेक्ट्रीशियन :

- क) एसी/डीसी करंट का ज्ञान
- ख) नई इलेक्ट्रीक फिटींग करना
- ग) इलेक्ट्रीक फाल्ट का सुधार

10. माली

- क) बागवानी व कलम बनाना
- ख) पौधों का रख-रखाव
- ग) बीज और उनकी बुआई के मौसम का ज्ञान, उर्वरक की सेती देसेती।
- घ) स्वदेशी खाद की जानकारी

11. वेल्डर

- क) वेल्डिंग औजारों की जानकारी
- ख) ए आर सी वेल्डिंग—प्रेविटकल
- ग) गैस वेल्डिंग—प्रेविटकल

12. चार्ज मैक :

- क) एसी और डीसी करंट का ज्ञान
- ख) वोल्टेज प्राप्ति/वितरण /उपभोग का ज्ञान

ग) स्वीचबोर्ड और फाल्ट अटेंडेंस का ज्ञान

13. मोटर पम्प अटैंड (एमपी अटैंड) :

क) पम्प का ज्ञान

ख) मोटर का ज्ञान

ग) मरम्मत का ज्ञान

11.2

लिखित परीक्षा :

जो अभ्यर्थी पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा में पास होंगे वे ही ओएमआर/कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड के तहत लिखित परीक्षा में बुलाएं जाएंगे।

11.2.1

वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र, जिसे ओएमआर शीट/सीबीटी पर हल करना होगा, 100 अंकों का होगा और इसकी अवधि 2 घंटे होगी। इसमें 100 प्रश्न होंगे, जो सामान्य जागरूकता/सामान्य ज्ञान, प्राथमिक गणित का ज्ञान, विश्लेषणात्मक योग्यता, पैटर्न को पहचानने और भेद करने की क्षमता तथा हिंदी/अंग्रेजी में अभ्यर्थी के मूलभूत ज्ञान की जांच पर आधारित होंगे। प्रश्नपत्र द्विभाषी (अंग्रेजी/हिंदी) में होगा। इसमें नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

11.2.2

अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अंक प्रतिशत निम्नानुसार होंगे :-

अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक : 35%

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. : 33%

टिप्पणी— सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम के लिए 35 प्रतिशत और अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व के लिए 33 प्रतिशत अर्हक अंक से यह तात्पर्य नहीं है कि जिन अभ्यर्थियों ने कमशः 35 प्रतिशत और 33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिए होंगे, जैसा मामला होगा, उन्हें अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। अगले चरण के लिए अभ्यर्थियों को पूर्णतया लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन/अर्जित किए गए अंकों के आधार पर और कट-ऑफ अंक (भर्ती सेक्टर/ट्रेड/श्रेणीवार) जो कि लिखित परीक्षा के पूरा होने के पश्चात निर्धारित किए जाएंगे, बुलाया जाएगा।

11.2.3

परीक्षा की तिथि की सूचना अभ्यर्थियों को केवल केंद्रीय सौचालिक वेबसाइट <https://cisfrectt.cisf.gov.in> के माध्यम से दी जाएगी। लिखित परीक्षा का केंद्र/दिनांक बदलने के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

11.2..4

लिखित परीक्षा की संभावित उत्तर कुंजी परीक्षा के बाद केंद्रीय सौचालिक वेबसाइट <https://cisfrectt.cisf.gov.in> पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी को देखकर ऑनलाइन अभ्यावेदन यदि कोई हो, निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्येक प्रश्न के लिए ₹100 शुल्क का भुगतान कर दर्ज करा सकते हैं। किसी अन्य माध्यम, जैसे पत्र, आवेदन आदि के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उत्तर कुंजी को अंतिम रूप देने से पूर्व उत्तर कुंजी से संबंधित अभ्यावेदन की समीक्षा विशेषज्ञों के पैनल द्वारा की जाएगी, और इस संबंध में विशेषज्ञों का निर्णय ही अंतिम होगा।

11.2.5

अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

11.2.6

यदि लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) दो या अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सामान्यीकृत किया जाएगा तथा ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग भर्ती के अगले चरण अर्थात् चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) के लिए योग्यता हेतु मेरिट सूची तथा कट ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

12.

चिकित्सा परीक्षा:

12.1

केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें चिकित्सा परीक्षण में उपस्थित होने के लिए लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में उनके प्रदर्शन के आधार पर सेक्टर वार (प्रत्येक श्रेणी में ट्रेड) और श्रेणीवार शार्टलिस्ट किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण के लिए शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिकितयों की संख्या से लगभग 02 (दो) गुणा होगी। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा, गृह मंत्रालय के यूओ संख्या ए. VI-1/2014-भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. 32012/एडीजी(सेडि)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए-1/2020 (पार्ट फाईल) /1/1166 दिनांक 31.05.2021 तथा सरकार द्वारा समय—समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों हेतु भर्ती के लिए एक समान दिशानिर्देशों के अनुसार, आयोजित की जाएगी।

12.2

अभ्यर्थी या तो फिट या अनफिट घोषित किए जाएंगे। कोई भी अभ्यर्थी अस्थायी रूप से अनफिट घोषित नहीं किया जाएगा।

12.3

सभी मामलों में, एक अभ्यर्थी जिसे चिकित्सा परीक्षा में नियुक्ति के लिए चिकित्सीय रूप से अनफिट घोषित किया गया है, को जांच चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखित रूप में व्यापक रूप से अस्वीकृति के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के दौरान अयोग्य घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) से गुजरने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे अनफिट होने के कारणों का संकेत देते हुए अपने हस्ताक्षर करके अपनी लिखित सहमति दें। अभ्यर्थियों का आरएमई डीएमई के अगले दिन अधिमानत: डीएमई की निरंतरता में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आरएमई के लिए सहमति, अभ्यर्थी द्वारा डीएमई में अपनी अयोग्यता के बारे में सूचित किए जाने के 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

टिप्पणी: वर्णाधता परीक्षण एक बार भर्ती के दौरान और बाद में पुनः बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान किया जाएगा।

चयन का तरीका/अंतिम चयन सूची तैयार करना :

- 13.1 पीईटी/ पीएसटी, दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षण, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के पूरा होने के पश्चात, लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों और भर्ती सेक्टर को आवंटित रिक्तियों की संख्या के आधार पर खण्डवार, ट्रेडवार और श्रेणीवार वरीयता सूची सामान्य, अजा, अजजा, अपिव, ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से तैयार की जाएगी।
- 13.2 **टाई मामलों का समाधान :** लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों के बराबर होने की स्थिति में, ऐसे मामलों का समाधान दिए गए क्रम में एक के बाद एक, निम्नलिखित मानदंडों को लागू करके हल किया जाएगा, जब तक कि टाई का समाधान नहीं हो जाता:
- अभ्यर्थियों की उम्र का हवाला देकर अंकों में टाई को हल किया जाएगा अर्थात् ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी;
 - यदि फिर भी टाई का समाधान नहीं होता है तो अभ्यर्थियों की लम्बाई की तुलना करके समाधान किया जाएगा अर्थात् जिस अभ्यर्थी की लम्बाई अधिक होगी उसको वरीयता दी जाएगी;
 - यदि फिर भी बाबारी रहती है तो इसका समाधान अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता के द्वारा किया जाएगा अर्थात् उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
 - यदि फिर भी टाई का समाधान नहीं होता है तो अंततः नाम के वर्णानुक्रम के अनुसार समाधान किया जाएगा अर्थात्: वर्णानुक्रम (अंग्रेजी) के अनुसार जिस अभ्यर्थी के नाम का पहला अक्षर दूसरे अभ्यर्थी के नाम के पहले अक्षर से पहले आएगा उसे वरीयता दी जाएगी।
- 13.3 बशर्ते अ.जा., अ.ज.जा. अ.पि.व. और ईडब्ल्यूएस. के अभ्यर्थी जो बिना छूट के अपनी मैरिट सूची में चयनित होता है, वह रिक्तियों के आरक्षित हिस्से के तहत समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. और ईडब्ल्यूएस. अभ्यर्थियों को समस्त मैरिट सूची में उनकी रिस्ट्रेक्शन के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को योग्य अजा/अजजा, अ.पि.व और ईडब्ल्यूएस. के अभ्यर्थी जिनकी मैरिट अनारक्षित वर्ग की मैरिट सूची के अंतिम सामान्य अभ्यर्थी से कम होगी लेकिन वह आरक्षित मानकों द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता हो।
- 13.4 परीक्षा में सफलता नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करती है, जब तक कि सरकार इस तरह की जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाती है कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- 13.5 अंतिम परिणाम केंौसुब की भर्ती वेबसाइट अर्थात् <https://cisfrectt.cisf.gov.in> पर प्रदर्शित किया जाएगा।

टिप्पणी I : परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। उनका परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्रवेश पूर्णतः अनंतिम और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन होगा। यदि शारीरिक दक्षता परीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा जांच से पहले या बाद में किसी भी समय जांच में यह पाया जाता है कि वे किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी परीक्षा के लिए अभ्यर्थिता विभाग द्वारा निरस्त कर दी जाएगी।

टिप्पणी II : यदि भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय किसी भी कारण से कोई अभ्यर्थी अयोग्य पाया जाता है अथवा तथ्य छुपाने के मामले में, उसकी अस्थिरता /चयन/नियुक्ति तदनुसार निरस्त की जा सकती है।

टिप्पणी III : यदि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियां योग्य अथवा पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण शेष रह गई हैं तो उन्हें गैर भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाएं तथा पदों में पुनः रोजगार) नियम 2012 की अधिसूचना के अनुसरण में संबंधित ट्रेड/श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।

टिप्पणी IV : यदि पात्र या योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण महिला रिक्तियां रिक्त रहती हैं, तो इसे संबंधित ट्रेड के पात्र पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।

टिप्पणी V : कोई आरक्षित/प्रतीक्षा सूची नहीं रखी/बनाई जाएगी।

14. **निर्णयः**: पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए जुर्माना, चयन प्रक्रिया, परीक्षा का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों का आबंटन और मैरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड/विभाग के निर्णय अंतिम होंगे और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होंगे तथा इस संबंध में कोई जांच पड़ताल/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
15. **न्यायालय निर्णयः** : इस भर्ती के संबंध में कोई विवाद उस न्यायालय /अधिकरण के अधीन होगा जिसका अधिकार क्षेत्र केंौसुब का भर्ती केन्द्र उस शहर/कस्बे में स्थापित हो अथवा जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन जमा करवाया है।
16. **अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा—निर्देश :**

- 16.1 आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी परीक्षा की सूचना में दिए निर्देशों अर्थात्: अपनी शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानकों आदि की आवश्यकताओं की सावधानीपूर्वक जांच कर लें और खुद को संतुष्ट कर लें कि वे पद के लिए पात्र हैं।
- 16.2 इस परीक्षा के नोटिस के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम या अन्य छूट जैसे आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि वे इस तरह के आरक्षण/छूट के हकदार हैं। जब प्रमाण पत्रों की प्रतियां मांगी जाएंगी, तो उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में संबंधित मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए।
- 16.3 मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों का सत्यापन दस्तावेजीकरण के समय किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अंतिम रूप से स्थीकार की जाएगी। जब दस्तावेजीकरण के समय दस्तावेज की जांच की जाती है, और यदि आवेदन में किसी भी दावे को प्रमाणित नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

- 16.4 दिव्यांग व्यक्ति (पी.डब्ल्यू.डी) इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- 16.5 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई-मेल पता और मोबाइल नंबर भरें क्योंकि महत्वपूर्ण पत्राचार ई-मेल / एसएमएस के माध्यम से किया जा सकता है।
- 16.6 देय शुल्क 100/- रुपए (केवल एक सौ रुपए)। महिला अभ्यर्थी एवं आरक्षण के लिए योग्य अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), भूतपूर्व सेनिकों (ईएसएम) के पात्र अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है।
- 16.7 अभ्यर्थियों कों अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम अपने दस्ती के प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार लिखना चाहिए अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता दस्तावेजों की जांच के बाद या फिर जब कभी नोटिस में आएगा तो रद्द कर दी जाएगी।
- 16.8 ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अभ्यर्थियों को अपना रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो जिस पर विधिवत रूप से वह तिथि उल्लिखित हो जिस तिथि को फोटो लिया गया हो, (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी न हो) आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अधिवास प्रमाण पत्र के संबंध में सभी संबंधित दस्तावेजों की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करने की आवश्यकता है।
- 16.9 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में आधिवासी राज्य और जिले के बारे में जानकारी प्रदान करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। आवेदन पत्र जमा करने के बाद आधिवासी राज्य और जिले के परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र और दस्तावेज सत्यापन के समय उनके द्वारा जमा किए गए आधिवासी प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित जिले और/या राज्य में कोई भिन्नता पाई जाती है तो उनकी अभ्यर्थिता तुरंत रद्द कर दी जाएगी और उन्हें दस्तावेजीकरण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 16.10 परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय उचित अभ्यास करना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं तो सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।
- 16.11 धूंधली/अस्पष्ट फोटो/हस्ताक्षर अथवा तिथि रहित फोटो वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- 16.12 अपूर्ण सूचना/गलत सूचना/अधूरे अपेक्षित प्रमाण पत्र/तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने/अहस्ताक्षरित छोड़ देने/ देय शुल्क के बिना जमा करने के कारण आवेदन को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- 16.13 किसी भी परिस्थिति, में एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक/फैक्स/ईमेल/हाथ आदि के माध्यम से प्राप्त ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 16.14 जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाए तो इसे “अनंतिम रूप से” स्वीकार कर लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन का प्रिंट आउट ले लेना चाहिए। “आवेदन प्रपत्र” का प्रिंट आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- 16.15 किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/मनगढ़त आवेदन/पंजीकरण के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी/साइबर कैफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वह साइबर/आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
- 16.16 अभ्यर्थी ध्यान दें कि वे एक वर्दीधारी बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और उन्हें उचित शारीरिक/मानसिक तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा और वे भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए भर्ती एंजेंसी/केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने जोखिम पर भर्ती में भाग लेंगे।
- 16.17 यदि कोई अभ्यर्थी पीईटी के दौरान किसी ऊर्जावान दवाई/औषधि आदि के प्रभाव में पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी।
- 16.18 अभ्यर्थी आवेदन भरने और पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड टेस्ट, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा आदि के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के लिए हेल्प लाइन नंबर पर 011-24366431/24307933 (केवल कार्य दिवस पर 1000 से 1800 बजे तक) संपर्क कर सकते हैं।
- 16.19 भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था के तहत 2-3 दिनों तक ठहरने के लिए विधिवत तैयार होना चाहिए। यात्रा और ठहरने के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा।
- 16.20 यदि कोई भी अभ्यर्थी पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में या उसके बाद कदाचार के किसी भी कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और वह उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
- 16.21 हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा, किसी भी प्रमाण पत्र का अनुवाद (हिंदी अथवा अंग्रेजी में) करके ही संलग्न करें अन्यथा इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 16.22 किसी भी प्रकार का अनुयाचन अथवा किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव डालने पर अभ्यर्थियों को स्वतः ही बिना किसी सूचना के परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- 16.23 संबंधित ट्रेड की सही योग्यता, क्षमता, फिटनेस और ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- 16.24 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती के लिए आने से पहले दौड़/पीईटी के लिए पर्याप्त अभ्यास करें। उन्हें आगे सलाह दी जाती है कि वे दिए गए समय में निर्दिष्ट दूरी को दौड़ने के लिए अपनी उपयुक्तता के संबंध में अपना चिकित्सकीय परीक्षण करवाएं। भर्ती प्रक्रिया/परीक्षा के दौरान किसी भी चोट/दुर्घटना या चिकित्सा समस्या के लिए केंजौसुब या भारत सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।

- 16.25 कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए या प्रतिरूपण का सहारा लेते हुए पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। अभ्यर्थी का रूप धारण करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ आईपीसी/बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को केओसुब में भविष्य की भर्ती के लिए आवेदन करने से वर्जित कर दिया जाएगा।
- 16.26 दलाल के रूप में काम करने वाले या दलाल की मदद लेने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ आईपीसी/बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।
- 16.27 अभ्यर्थियों को भर्ती के प्रत्येक चरण में उपस्थित होना आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी चरण/इवेंट में उपस्थित नहीं होता है जिसके लिए उस अभ्यर्थी ने अर्हता प्राप्त की है तो उस अभ्यर्थी की अधिकारीता रद्द कर दी जाएगी।
- 16.28 यदि कोई अभ्यर्थी अपने चयन/नियुक्ति के बाद किसी भी आधार पर सेवा के लिए अयोग्य/अपात्र पाया जाता है, तो उसकी सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।
- 16.29 केओसुब के महानिदेशक बिना कोई कारण बताए भर्ती में बदलाव करने या रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- 16.30 विभाग को विज्ञापन में कोई भी परिवर्तन करने या बिना कोई कारण बताए उसे रद्द करने का अधिकार है। इसके अलावा, यहां उल्लिखित सभी शर्तें भारत सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
- 16.31 चयनित अभ्यर्थियों को केओसुब के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में बुनियादी प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना होगा जिसके लिए उन्हें अलग से नियुक्ति पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित प्रशिक्षण में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। वे 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होंगे जिसे बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान, यदि वे किसी कारण से अनफिट पाए जाते हैं, तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
- 16.32 केओसुब पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ फिट, प्रतिबद्ध, ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों की भर्ती करने का प्रयास करता है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे “दलालों से सावधान रहें”।
- 16.33 नियुक्ति की पेशकश भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इस प्रकार, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी पिछले चरण (चिकित्सा परीक्षा सहित) में अर्हता प्राप्त करने से किसी भी अभ्यर्थी को पद पर चयन या नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलता है।
- 16.34 इस नोटिस में रेखांकित निर्देशों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

दलालों से सावधान रहें। केओसुब में भर्ती के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यदि आपने भुगतान किया है या किसी को पैसे देने का वादा किया है तो आपको धोखा दिया जा रहा है और आप पैसे खो रहे हैं। यदि कोई आपके चयन के लिए पैसे की मांग करता है, तो तुरंत भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और संबंधित भर्ती केन्द्र के उप महानिरीक्षक को सूचित करें या ई-मेल के माध्यम से उस व्यक्ति का नाम ac-rectt@cisf.gov.in पर सूचित करें।